एस्लूप खान बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

विनोद एस. भारद्वाज के सामने, जे.

एसलूप खान-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और एक अन्य प्रतिवादी 2017 का सी. आर. एम.-एम. सं. 20991

21 अप्रैल, 2022

दंड प्रक्रियासंहिता, 1973-खंड 482-भारतीय दंड संहिता, 1860-खंड 420-हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 2015-एस. 175-यू, 187 (1) (एच), 187 (2), 188-2015 अधिनियम की खंड 175-यू के साथ पठित भा.दं.सं. सी. की खंड 420 के तहत शिकायत को रद्द करने के लिए सरपंच द्वारा दायर याचिका और मजिस्ट्रैटद्वारा समन आदेश-याचिकाकर्ता के पास दो राशन कार्ड थे और उसने बिजली विभाग को देय राशि का खुलासा नहीं किया-बाद में एक उम्मीदवार के लिए अयोग्यता- मजिस्ट्रैटने याचिकाकर्ता को 2015 अधिनियम की खंड 175-यू के तहत समन किया।-समन आदेश-पुनरीक्षण योग्य-उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्रको प्रतिबंधितनहीं करता है जब अवैधता स्पष्ट हो-2015 अधिनियम की खंड 188 के आदेश या प्राधिकरणके तहत शिकायत के अलावा संज्ञान नहीं लिया जा सकता है- प्रारभिककार्रवाई जो कानून के अनुरूप नहीं है, सभी बाद में।

अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी द्वारा उठाई गई दलीलों को खारिज किया जा रहा है। मुद्दा कानूनी होने के कारण, केवल यह तथ्य कि उक्त आदेश भी एक पुनर्विचार योग्य आदेश है, उच्च न्यायालय को खंड 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोगकरने में एक स्पष्ट

अवैधता का संज्ञान लेने से बाधित या प्रतिबंधितनहीं करेगा। एक प्रभावीऔर वैकल्पिक उपचार का अस्तित्व वास्तव में खंड 482 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्रको बाधित या प्रतिबंधितनहीं करता है। एक बार अवैधता स्पष्ट हो जाने और विवादित या अस्वीकार नहीं होने के बाद, ऐसी किसी भी कार्यवाही को जारी रखना विकृति और अन्याय को बनाए रखने के बराबर होगा और यह अस्वीकार्य है।

(पैरा 10) ने आगे अभिनिर्धारित किया कि वैधानिक प्रावधानोके केवल अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपराध का संज्ञान किसी आदेश द्वारा या राज्य निर्वाचन आयोग के प्राधिकरण के तहत की गई शिकायत के अलावा नहीं लिया जा सकता है।कानून में निर्धारित उपरोक्त पूर्व-आवश्यकता पूरी नहीं होने पर कार्यवाही दूषित हो जाएगी।

(पैरा 11)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम देविंदर पाल सिंह भुल्लर के मामले में (2011) 14 एस. सी. सी. 770 के रूप में रिपोर्ट किया है कि यदि प्रारभिंक कार्रवाई कानून के अनुरूप नहीं है, तो बाद की सभी और परिणामी कार्यवाही गिर जाएगी।

(पैरा 12) ने आगे अभिनिर्धारित किया कि कार्यवाहियों में दोष मौलिक है और पूरे मामले का आधार है।यहाँ तक कि एक दोष भी बाद की सभी कार्यवाही को दूषित कर देगा। विधायी इरादे और जनादेश को इस तरह से और कानून द्वारा ज्ञात प्राधिकरणके

तहत कार्यवाही को पूरा नहीं करने से पराजित किया जाता है। लागू निषेध आत्यन्तिक और असाध्य होने के कारण, कार्यवाही को जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होने के अलावा न्यायिक समय की बर्बादी होगी।

(पैरा 13)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजेश लांबा ने कहा,

आशीष यादव, अतिरिक्त ए. जी. हरियाणा।

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता अमित जैन।

विनोद एस. भारद्वाज। जे. (मौखिक)

(1) तत्काल याचिका दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की खंड 482 (इसके बाद "सी0आर0पी0सी0"के रूप में संदर्भित) के तहत दायर की गई है, जिसमें हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 2015 की खंड 175-यू के साथ पठित भारतीय दंड संहिता 1860 की खंड 420 (इसके बाद "आईपीसी"के रूप में संदर्भित) के तहत दायर शिकायत दिनांक 23.11.2016 (अनुलग्नक पी-1) के साथ-साथ विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रैट,प्रथम श्रेणी, फिरोजपुर झिरका द्वारा पारित 26.04.2017 (अनुलग्नक पी-2) दिनांकसमन आदेश, याचिकाकर्ता को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की खंड 175-यू के तहत अपराध के लिए तामिलकरना और उससे उत्पन्न होने वाली सभी परिणामी कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

(2) याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तुतकिया कि याचिकाकर्ता गांव सिंघलहेरी का स्थायी निवासी है और हरियाणा राज्य द्वारा आयोजित चुनावों के साथ साथग्रामपंचायत के सरपंच के रूप चुना गया था। प्रतिवादी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता के खिलाफ इस आधार पर दिनांक

23.11.2016 शिकायत दर्ज की कि याचिकाकर्ता के पास दो राशन कार्ड थे और वह बिजली विभाग को देय Rs.3049 की शेष राशि का भी खुलासा नहीं कर रहा था।इस **प्रकार प्रतिवादी** संख्या 2 द्वारा यह आरोप लगाया गया कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 2015 की धारा 175 के अनुसार किसी उम्मीदवार की अयोग्यता को निर्धारित करते हुए, एक व्यक्ति को खंड एस. एल. ओ. पी. खान बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के तहत **ग्राम** पंचायत के सरपंच या पंच के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा।

(विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

‘यू 'यदि वह बिजली बिलों अवशिष्ट का भुगतान करने में विफल रहता है।वैधानिक **प्रावधान** की **प्रासंगिक**खंड निम्नानुसार निकाली गई हैः

“175-अयोग्यताएँः:कोई भी व्यक्ति, जो बिजली के बिलों का अवशिष्ट भुगतान करने में विफल रहता है, वह**ग्राम** पंचायत का**सरपचं/या** पंच या पंचायत समिति या जिला परिषद का सदस्य नहीं होगा या बना रहेगा।”

(3) शिकायतकर्ता के नेतृत्व में **साक्ष्य**और **प्रस्तुत**किए गए **प्रस्तुतीकरण**पर विचार करने पर, जे. एम. आई. सी. फिरोजपुर झिरका ने पाया कि भा.दं.सं. सी. की खंड 420 के तहत अपराध नहीं बनाया गया है और देखा कि याचिकाकर्ता-अभियुक्त ने हरियाणा पंचायत राज अधिनियम, 2015 की खंड 175 के **प्रावधान**का उल्लंघन करते हुए एक झूठा शपथ **पत्र**दिया था और यह अयोग्यता को आकर्षित करेगा।तदनुसार याचिकाकर्ता को हरियाणा पंचायत राज अधिनियम, 2015 की आदेश 175-यू के तहत दंडनीय अपराध के लिए समन

भेजा गया था। समन के उक्त आदेश को प्रतिवादी -शिकायतकर्ता द्वारा कभी भी किसी भी कार्यवाही में चुनौती नहीं दी गई थी।इस प्रकार वह उक्त आदेश से संतुष्ट और संतुष्ट थे।

(4) याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि 24.12.2015 कोनामांकन दाखिल करने से पहले, याचिकाकर्ता ने रु 2845/- हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड के साथ बी नंबर 28430 की रसीद संख्या 85 के माध्यम से जमा करवाए थें। विचाराधीन कार्यवाही इस आधार पर शुरू की गई थी कि पी. डी. सी. ओ. संख्या 80/44 दिनांक 4/2002 का खाता No.11-1227 वाला एक और बिजली मीटर था और अवकाश के रिकॉर्ड के अनुसार, रु. 3049/- लंबित है।इस प्रकार, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 2015 की खंड 175-यू के साथ पठित भा.दं.सं. सी. की खंड 420 के तहत कार्यवाही शुरू की गई।शिकायत के साथ-साथ प्रारंभिक साक्ष्य पर विचार करने पर, याचिकाकर्ता को केवल हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की आदेश 175-यू के तहत अपराध के लिए अभियोजन का सामना करने के लिए बुलाया गया था।समन के साथ-साथ शिकायत के उक्त आदेश पर याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल याचिका दायर करके हमला किया गया है।

(5) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के तहत उक्त अपराध, जैसा कि खंड 175-यू के तहत विचार किया गया है और याचिकाकर्ता पर लागू होते हैं, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की खंड 187 (1) (एच) के तहत आते हैं। उसी को यहाँ नीचे निकाला गया हैः

"187. अन्य अपराध और उनके लिए दंडः--- (1) ए.

व्यक्ति किसी अपराध का दोषी होगा, यदि किसी चुनाव में वह-

एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स

एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स

(ज) नामांकन दाखिल करते समय गलत घोषणा करता है या शपथ पत्र मे गलत सामग्री प्रस्तुतकरता है या किसी भी जानकारी को छुपाता है, जैसा भी मामला हो।

(6) उन्होंने आगे खंड 187 (2) (बी) के साथ-साथ हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की खंड 188 का भी उल्लेख किया है। इन्हें नीचे दिए गए शब्दों में यहाँ निकाला गया है:

" खंड 187 (2) (बी):

इस खंड के तहत किसी अपराध का दोषी कोई भी व्यक्ति -

(ख) यदि वह कोई अन्य व्यक्ति है, तो दोषी ठहराए जाने पर छह महीने तक की अवधि के कारावास या [पाँच हजार रुपये] के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

खंड 188।कुछ अपराधों का अभियोजनः-

कोई भी अदालत खंड 184 के तहत या खंड 185 के तहत या खंड 187 की उप-खंड (2) के खंड (बी) के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगी, सिवाय राज्य चुनाव आयोग के आदेश या प्राधिकरणके तहत की गई शिकायत के।

(7) यह तर्क दिया जाता है कि सूचना को छिपाने का अपराध खंड 187 (1) (एच) के तहत दंडनीय होने के कारण खंड 187 (2) (बी) के तहत सजा निर्धारित की जाएगी।यह भी तर्क दिया जाता है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की खंड 188 के आधार पर, खंड

187 (2) (बी) के तहत अपराध का संज्ञान राज्य चुनाव आयोग के आदेश या प्राधिकरण के तहत की गई शिकायत के अलावा नहीं लिया जा सकता है।याचिकाकर्ता का तर्क है कि विचाराधीन शिकायत राज्य चुनाव आयोग द्वारा दायर नहीं की गई है और शिकायत शुरू होने से पहले प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा राज्य चुनाव आयोग से प्राधिकारण का कोई आदेश प्राप्तनहीं किया गया था। इस प्रकार यह तर्क दिया जाता है कि निम्न प्रतिवादी को उक्त शिकायत का संज्ञान लेने से प्रतिबंधितकिया गया था।

(8) श्री आशीष यादव, अतिरिक्त ए. जी. हरियाणा के साथ-साथ प्रतिवादीसंख्या 2 की ओर से पेश वकील ने आग्रहकिया है कि समन का आदेश एक पुनरीक्षण योग्य आदेश होने के कारण, याचिकाकर्ता पर इसके खिलाफ पुनरीक्षण को प्राथमिकता देना अनिवार्य था और खंड 482 Cr.P.C के तहत तत्काल पुनरीक्षण याचिका बनाए रखने योग्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता हालांकि इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके जैसा कि ऊपर देखा गया है-एसएलओओपी खान बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

और यह कि राज्य चुनाव आयोग से अधिकार या अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी या यह स्थापित करने के लिए कि शिकायत का संज्ञान राज्य चुनाव आयोग के अधिकार या मंजूरी के बिना भी लिया जाएगा।

(9) मैंने संबंधित पक्षों द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचार किया है और उनकी समर्थ सहायता के साथ रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

(10) प्रतिवादीद्वारा उठाई गई दलीलों को खारिज किया जा रहा है। मुद्दा कानूनी होने के कारण, केवल यह तथ्य कि उक्त आदेश भी एक पुनर्विचार योग्य आदेश है, उच्च न्यायालय को खंड 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्रका प्रयोगकरने में एक स्पष्ट अवैधता का संज्ञान लेने से बाधित या प्रतिबंधितनहीं करेगा। एक प्रभावी और वैकल्पिक उपचार का अस्तित्व वास्तव में खंड 482 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्रको बाधित या प्रतिबंधितनहीं करता है। एक बार अवैधता स्पष्ट होने जाने के बाद, जो कि विवादित ना हो व अस्वीकार्य हो, ऐसी किसी भी कार्यवाही को जारी रखना विकृति और अन्याय को बनाए रखने के बराबर होगा और यह अस्वीकार्य है।

(11) वैधानिक प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राज्य चुनाव आयोग के आदेश या प्राधिकरणके तहत की गई शिकायत के अलावा अपराध का संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। कानून में निर्धारित उपरोक्त पूर्व-आवश्यकता पूरी नहीं होने पर कार्यवाही दूषित हो जाएगी।

(12) माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्य के मामले में निर्णय दिया है

पंजाब बनाम देविंदर पाल सिंह भुल्लर 1, कि अगर प्रारंभिक

कार्रवाई कानून के अनुरूप नहीं है, सभी बाद की और परिणामी कार्यवाही गिर जाएगी। उसी के प्रासंगिकउद्धरण को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुतकिया गया हैः

“107.....यह एक तय कानूनी प्रस्तावहै कि यदि प्रारंभिककार्रवाई कानून के अनुरूप नहीं है, तो बाद की सभी और परिणामी कार्यवाही इस कारण द्वारा विफल हो जाएगी कि अवैधता आदेश की जड़ पर हमला करती है। ऐसी तथ्य-स्थिति में, कानूनी उक्ति "सबलाटो फंडामेंटो कैडिट ओपस"जिसका अर्थ है कि नींव को

हटाया जा रहा है, संरचना/कार्य गिरता है, चलन में आता है और वर्तमान मामले में सभी अंकों पर लागू होता है।

108. बद्रीनाथ बनाम टी. एन. की सरकार और केरल राज्य बनाम पुथेनकावु एन. एस. एस. करयोगम में इस न्यायालय ने निरीक्षण कियाकि एक बार कार्यवाही का आधार समाप्त हो जाने के बाद, सभी परिणामी अधिनियम, 1 (2011) 14 एस. सी. सी. 770

कार्रवाई, आदेश स्वचालित रूप से जमीन पर गिर जाएंगे और यह सिद्धांत न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और प्रशासनिककार्यवाही पर समान रूप से लागू होता है।

109.....इसी तरह मंगल प्रसाद तमोली (मृत) में एल. आर. एस. बनाम। एल. आर. एंड ओ. आर. एस., (2005) 3 एस. सी. सी. 422 द्वारा नरवदेश्वर मिश्रा (मृत), इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि प्रारंभिकचरण में कोई आदेश कानूनी रूप से खराब है, तो उसके परिणामस्वरूप आगे की सभी कार्यवाहियां गैर-कानूनी होंगी और उन्हें अनिवार्य रूप से अलग करना होगा।110.....सी. अल्बर्ट मॉरिस बनाम के. चंद्रशेखरन और अन्य, (2006) 1 एस. सी. सी. 228 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कानूनी अधिकार केवल और केवल तभी मौजूद है जब इसका वैध मूल हो।(यह भी देखेःउपेन चंद्र गोगोई बनाम असम राज्य, सच्चिदानंद मिश्रा बनाम उड़ीसा राज्य, एस. बी. आई. बनाम राकेश कुमार तिवारी और रितेश तिवारी बनाम उत्तर प्रदेशराज्य)

(13) कार्यवाही में दोष मौलिक है और पूरे मामले की नींव है। यहाँ तक कि एक दोष भी बाद की सभी कार्यवाही को दूषित कर

देगा।विधायी इरादे और जनादेश को इस तरह से और कानून द्वारा ज्ञात प्राधिकरणके तहत कार्यवाही को पूरा नहीं करने से पराजित किया जाता है।अधिरोपित निषेध आत्यन्तिक और असाध्य होने के कारण, कार्यवाही को जारी रखना कानूनी प्रक्रियाका दुरुपयोग होने के अलावा न्यायिक समय की बर्बादी होगी।

(14) इसलिए, वर्तमान याचिका को तदनुसार अनुमति दी जाती है और हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 2015 की खंड 175-यू के साथ पठित भा.दं.सं. सी. की खंड 420 के तहत दायर की गई 23.11.2016 (अनुलग्नक पी-1) की शिकायत के साथ-साथ हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 2015 की खंड 175-यू के तहत समन आदेश दिनांक 26.04.2017 (अनुलग्नक पी-2) विद्वान न्यायिकमजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी , फिरोजपुर झिरका द्वारा पारित किया गया है।

याचिका की अनुमति है।

शुभरीत कौर

अस्वीकरण– स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है। ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उददेश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उददे्श्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

विनती वशिष्ठ, अनुवादक, जिला न्यायालय, सोनीपत।